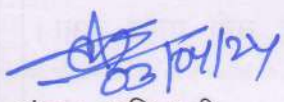
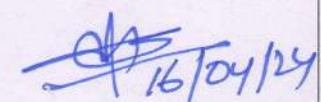


अंचल अधिकारी का न्यायाल पटमदा

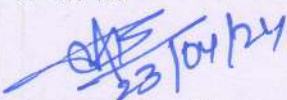
विविध राजस्व वाद (सीमांकन) संख्या 06/2024-25

तिथि	विवरणी	की गई कार्रवाई										
8.4.24	प्रस्तुत वाद श्री मथुर प्रसाद महतो पिता विभूति भूषण महतो ग्राम जाल्ला के सीमांकन हेतु दिये गये आवेदन पत्र के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:- <table><tr><td>मौजा</td><td>थाना नं०</td><td>खाता नं०</td><td>प्लॉट नं०</td><td>रकवा</td></tr><tr><td>बामनी</td><td>30</td><td>130</td><td>1780</td><td>28 डी०</td></tr></table> उपरोक्त भूमि का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से ऑनलाईन प्रतिवेदन देने हेतु निर्देश दिया जाता है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 16.4.24 को उपस्थापित करें। लेखापित  अंचल अधिकारी पटमदा  अंचल अधिकारी पटमदा	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	बामनी	30	130	1780	28 डी०	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा								
बामनी	30	130	1780	28 डी०								
16.4.24	अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने ऑनलाईन जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा- बामनी थाना नं० 30 खता नं० 130 प्लॉट नं० 1780 रकवा 38 डी० भूमि का सीमा को लेकर विवाद है। उपरोक्त भूमि को सीमांकन करने हेतु अनुसंशा की गई है। आवेदक द्वारा सीमांकन शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र की राशि ऑनलाईन जमा करने का शुल्क जमा करने संबंधी रासीद जमा करने के उपरांत सीमांकन की तिथि निर्धारित की जायगी। अभिलेख दिनांक 23.4.24 को उपस्थापित करें। लेखापित  अंचल अधिकारी पटमदा  अंचल अधिकारी पटमदा											

23.4.24

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से सीमांकन शुल्क 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र जमा करने से संबंधित रसीद जमा किया है। सीमांकन हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्ष एवं चौहद्दीदारों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29.4.24 को उपस्थापित करें।

लेखापित



अंचल अधिकारी
पटमदा



अंचल अधिकारी
पटमदा

29.4.24

निर्धारित तिथि को अंचल अमीन के द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रविष्ट की गई है। उनके द्वारा पप्रतिवेदित की गई है कि आवेदित भूमि का सीमांकन ग्रामीणों एवं चौहद्दीदारों, मुखिया एवं वार्ड सदस्य के उपस्थिति में सीमांकन किया गया। किसी का कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुआ। सीमांकन का कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न किया गया।

अभिलेख की कार्यवाई बन्द की जाती है।

लेखापित



अंचल अधिकारी
पटमदा



अंचल अधिकारी
पटमदा